अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

(द0 प्र0 सं0 144 के तहत वाद सं0–168 / 2022)

अमितेष पाण्डेय —बनाम्— बासुदेव प्रसाद यादव

आदेश

21.10.22 थाना प्रभारी, गाँवा के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने दखल वाले भूमि को द्वितीय पक्ष द्वारा बनावटी कागजात के आधार पर जबरन दखल करने को प्रयासरत रहने का उल्लेख कर जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से वर्ष 2003 के दलील से प्राप्त खरीदगी भूमि पर दखलकार रहने का तथ्य प्रस्तुत कर प्रथम पक्ष द्वारा भूमि के दखल को जबरन प्रभावित करने को प्रयासरत रहने का उल्लेख किया गया एवं जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने आ अनुरोध किया गया।

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से हिस्सेदारी एवं खरीद बिक्री को लेकर उत्पन्न विवाद का निदान इस कार्यवाही के तहत होना संभव नहीं रहने की स्थिति में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21/10/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

21/10/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.06.13 20:40:01 +05:30
Location: 192.168.1.5

Scanned with CamScanner